

संख्या:-248/XXVII (1)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,  
सचिव, वित्त,  
उत्तराखण्ड शासन।

17वाँ वित्त : क्षेत्र पंचायत: 2010-11: द्वितीय किशत

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग-1

देहरादून:: दिनांक: 07 :अप्रैल,2011

विषय:- 13वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 में वर्ष 2010-11 की द्वितीय किशत हेतु धनराशि का संकमण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश की समस्त क्षेत्र पंचायतों को चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में वर्ष 2010-11 की वित्तीय वर्ष 2010-11 द्वितीय किशत हेतु कुल धनराशि ₹80550000.00 (₹आठ करोड़ पाँच लाख पचास हजार मात्र) को संलग्नानुसार को निम्नलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय आवंटन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2- संक्रमित की जा रही धनराशि वेतन एवं भत्तों आदि पर व्यय नहीं की जा सकेगी।

3-13वाँ वित्त आयोग द्वारा संस्तुति की गई है कि संक्रमित धनराशि से निम्न कार्य कराये जा सकते हैं:-

(1) पथ प्रकाश (2) पेयजल योजनाओं का अनुरक्षण (3) स्वच्छता (4) पेयजल (5) परिसम्पत्तियों का निर्माण (6) स्वजल धारा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित जलापूर्ति परिसम्पत्तियों को अपने हाथ में लेकर उनका अनुरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्तियों के निर्माण आदि कार्य किये जाने चाहिए।

4-कोषागार से संक्रमित की जा रही धनराशि आहरित करने हेतु बिल जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे तथा जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

5-जिला पंचायत राज अधिकारी प्रत्येक स्थिति में एक सप्ताह के अन्दर सम्बंधित क्षेत्र पंचायतों को धनराशि चैक/ड्राफ्ट के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

61  
31/6/11

श्री जे. ए. आर.  
केंद्र प्रमुख अफसर  
का. प्र. नॉबल एंज. म. विलिंग्डन  
च. नॉबल एंज. म. विलिंग्डन  
पत्राचार Transfer मने ईडू काले  
प्रदेश के निदेशक. पत्राचार  
प्रदेश के निदेशक. पत्राचार

6-अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सम्बंधित जिलाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षर कराकर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, उत्तरराखण्ड, देहरादून प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड को उपलब्ध करायेंगे। समय से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने पर भारत सरकार द्वारा अगली किशत की धनराशि अवमुक्त नहीं की जायेगी। यदि उपयोगिता प्रमाण-पत्र के विलम्ब के कारण कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये जिला पंचायत राज अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

7-संक्रमित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किशत अवमुक्त की जायेगी।


8-संक्रमित धनराशि का उपयोग केवल उसी कार्य हेतु किया जायेगा जिस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की गई है। इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

9-संक्रमित धनराशि के समुचित उपयोग के लिए विभागीय अधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो उत्तरदायी होंगे।

10-संक्रमित की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 3604-स्थानीय निकाय तथ पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-आयोजनेत्तर-02-पंचायत राज संस्थायें-197-विकास खण्ड स्तरीय पंचायत-01-केन्द्रीय आयोजनागत/के द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0103-13वाँ वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीया,


  
(राधा रतूड़ी)  
सचिव, वित्त।

संख्या 248 / (XXVII (1) / 2011, तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, पंचायती राज, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल / कुमाँऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड-देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग, ब्लाक 11, पंचम तल सी0जी0ओ0 कोम्प्लेक्स नई दिल्ली।
8. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
10. वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
11. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,



(आर.सी.अग्रवाल)

अपर सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्या: २५४ / XXVII (1) / 2011

दिनांक: ०७ अप्रैल, 2011 का संलग्नक।

13वाँ वित्त आयोग द्वारा संस्तुत क्षेत्र पंचायतों को वर्ष 2010-11 हेतु देय द्वितीय किशत की धनराशि।

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2010-11 हेतु देय द्वितीय किशत
1	2	3
अल्मोड़ा	भैसियाछाना	277
	भिकियासैण	410
	चौखुटिया	490
	धौलादेवी	1009
	द्वाराहाट	606
	हवलबाग	561
	लमगड़ा	670
	सल्ट	862
	स्याल्दे	689
	ताकुला	371
	ताडीखेत	939
	योग:-	6884
बागेश्वर	बागेश्वर	1019
	गरुड़	478
	कपकोट	943
	योग:-	2440
चमोली	दशोली	580
	देवाल	456
	गैरसैण	899
	घाट	421
	जोशीमठ	1258
	कर्णप्रयाग	770
	नारायणबगड़	426
	पोखरी	513
	थराली	412
योग:-	5735	
चम्पावत	बाराकोट	257

*Ne*

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2010-11 हेतु देय द्वितीय किश्त
1	2	3
	चम्पावत	1034
	लोहाघाट	333
	पाटी	449
	योग:-	2073
देहरादून	चकराता	845
	डोईवाला	1133
	कालसी	868
	रायपुर	1162
	सहसपुर	1445
	विकासनगर	1150
	योग:-	6603
हरिद्वार	बहादुराबाद	3181
	भगवानपुर	1677
	खानपुर	517
	लक्सर	1016
	नारसन	1429
	रुड़की	1233
	योग:-	9053
नैनीताल	बैतालघाट	506
	भीमताल	404
	धारी	252
	हल्द्वानी	1265
	कोटाबाग	406
	ओखलकाण्डा	663
	रामगढ़	441
	रामनगर	646
	योग:-	4583
पौड़ी	बीरोंखाल	1255
	दुगड्डा	2483
	द्वारीखाल	1522
	एकेश्वर	762

*Ne*

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2010-11 हेतु देय द्वितीय किश्त
1	2	3
	कल्जीखाल	976
	खिर्सू	518
	कोट	712
	लैसडाऊन	988
	नैनीडांडा	1245
	पाबो	1009
	पौड़ी	628
	पोखड़ा	510
	रिखणीखाल	930
	थलीसैण	1701
	यमकेश्वर	1541
	योग:-	16780
पिथौरागढ़	बेरीनाग	797
	धारचूला	1153
	डीडीहाट	322
	गंगोलीहाट	956
	कनालीछीना	446
	मुनाकोट	472
	मुनस्यारी	1312
	पिथौरागढ़	454
	योग:-	5912
रुद्रप्रयाग	अगस्तमुनि	1258
	जखोली	622
	ऊखीमठ	653
	योग:-	2533
टिहरी गढ़वाल	भीलंगना	2142
	चम्बा	579
	देवप्रयाग	692
	जाखणीधार	458
	जौनपुर	941
	कीर्तिनगर	429

Ne

(धनराशि हजार ₹ में)

जिला	क्षेत्र पंचायत का नाम	वर्ष 2010-11 हेतु देय द्वितीय किश्त
1	2	3
	नरेन्द्रनगर	516
	प्रतापनगर	502
	थौलधार	461
	योग:-	6720
ऊधमसिंह नगर	बाजपुर	720
	गदरपुर	594
	जसपुर	675
	काशीपुर	515
	खटीमा	1750
	रुद्रपुर	716
	सितारगंज	1838
	योग:-	6808
उत्तरकाशी	भटवाडी	828
	चिन्वालीसौड	497
	डुण्डा	576
	मोरी	681
	नौगाँव	1562
	पुरोला	282
	योग:-	4426
	महायोग:-	80550

(₹ आठ करोड़ पाँच लाख पचास हजार मात्र)

(राधा रतूड़ी)  
सचिव, वित्त।